सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
समस्त मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

दिनांकः 12 जुलाई, 2010

पत्रांकः स्कूलरेडी0/ 1960 /2010-11

विषयः स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्री प्राइमरी कक्षाओं का निरीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ई0सी0सी0ई0 नवाचार योजनान्तर्गत विगत वर्ष की भाँति वर्ष 2010 -11 में जुलाई माह से प्रत्येक जनपद में 200-200 प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल रेडीनेस केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय से बृहद् निर्देश एवं बजट समस्त जनपदों को भेजा जा चुका है।

स्कूल रेडीनेस से सम्बन्धित विद्यालयों में कार्यरत एक-एक शिक्षामित्र द्वारा 4+ आयु वर्ग के 20 -25 बच्चों को इन कक्षाओं में नामांकित कराया जायेगा। शिक्षामित्रों को 19 से 27 जुलाई 2010 के मध्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में दो -दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्राचार्य डायट द्वारा सभी शिक्षामित्रों को एक प्रशिक्षण किट उपलब्ध कराई जायेगी जिसके माध्यम से शिक्षामित्र टी0एल0एम0 का निर्माण करेंगे। इस वर्ष सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों को भी एक दिन का प्रशिक्षण डायट पर दिया जायेगा। बच्चों के पठन-पाठन एवं खेल सामग्री की स्कूल रेडीनेस किट सम्बन्धित विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

चूँकि यह कार्यक्रम विगत वर्ष से ही प्रारम्भ किया गया है अतः नये शैक्षिक सत्र के माह जुलाई में कार्यक्रम के अनुश्रवण की अत्यन्त आवश्यकता है। इस हेतु माह जुलाई 2010 में प्रत्येक मण्डल के 2-2 जनपदों को रेण्डम रूप में चयनित करके स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का अनुश्रवण मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने मण्डल के किन्ही दो जनपदों में कम से कम 05-05 स्कूल रेडीनेस केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए संलग्न प्रारुप पर सूचना दिनांक 31-07-10 तक अनिवार्य रूप से राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अशोक गांगुली 10.7)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefa...@sify.net

स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्री प्राइमरी कक्षाओं के निरीक्षण हेतु प्रपत्र

मण्डल का नाम

निरीक्षण तिथि:

क्र0सं0	जनपद का नाम	निरीक्षित विद्यालय का नाम जहाँ प्री प्राइमरी कक्षा संचालित हो रही है	नामांकित बच्चों की संख्या	विगत वर्षो में नामांकित बच्चों की संख्या जिन्होने कक्षा -1 में प्रवेश लिया है	क्या शिक्षामित्र द्वारा इस वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है	प्रशिक्षण किट की उपलब्धता	रेडीनेस किट की उपलब्धता	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में

1. प्राचार्य,
   जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
   समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।

2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः स्कूल रेडीनेस/ 1267 /2010-11 दिनांक 4. 6. 2010

विषयः स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में ई0सी0सी0ई0 नवाचार योजना के अन्तर्गत विगत वर्ष की भांति प्रत्येक जनपद के 200 प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अन्तर्गत प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जायेगा। प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के लिये रु. 15 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है जिसके अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपदवार विवरण संलग्न है।

उक्त कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः-

(1) बच्चों का नामाकंनः-

स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का उद्देश्य 4+ वय वर्ग के बच्चों को स्कूल में लाकर उन्हें स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान करना तथा कक्षा 1 में नामाकंन हेतु उनकी पूर्व तैयारी कराना है। जिन प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन होना है उनमें 20 से 25 बच्चों का नामाकंन अवश्य कराया जाये। नामाकंन पृथक पंजिका पर दर्ज किया जाये।

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upeduko@sth.net

(2) बजट का प्रावधान:-

प्री-प्राइमरी कक्षाओं के संचालन हेतु प्रति विद्यालय 7500/- रू0 की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है।

• प्री-स्कूल किट	रू0 2000/- प्रति विद्यालय
• शिक्षामित्र को प्रति माह रू0 300/- की दर से 10 माह का अतिरिक्त मानदेय	रू0 3000/- प्रति वर्ष
• सहायिका हेतु रू0 200/- की दर से 10 माह का मानदेय	रू0 2000/- प्रति वर्ष
• चयनित विद्यालयों के शिक्षामित्रों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण, माड्यूल मुद्रण तथा प्रशिक्षण किट हेतु	रू0 500/- प्रति प्रतिभागी

(3) बच्चों हेतु प्री-स्कूल किट -

- विगत वर्ष की भांति वर्ष 2010-11 में भी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संचालित होने वाले विद्यालयों में प्री स्कूल किट दिये जाने हेतु रु.2000/- की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रति विद्यालय 25 बच्चों के लिये प्री-स्कूल किट सामग्री निर्धारित की गयी है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी। प्री-स्कूल किट **प्रत्येक दशा में 15 जुलाई, 2010** तक सम्बन्धित विद्यालयों को उपलब्ध करा दी जाये। इस हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समयबद्ध रूप में कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- प्री स्कूल किट में निम्नलिखित सामग्री विद्यालयों में बच्चों को वितरित करने हेतु भेजी जायेगी-

प्री- स्कूल किट में निर्धारित सामग्री				
क0 सं0	सामग्री	मात्रा/सेट	अनुमानित इकाई लागत (रू0 में)	कुल अनुमानित लागत (रू0 में)
1.	स्लेट ए'4 साइज अबेकस सहित	25	25.00	625.00
2.	कापी 120 पेज की	25	12.00	300.00
3.	केयान कलर्स	12	8.00	96.00
4.	कलर आर्ट बुक	25	20.00	500.00
5.	पेंसिल	25	2.00	50.00
6.	रबर	18	2.00	36.00
7.	कटर	6	3.00	18.00

8.	1-20 तक के प्लास्टिक नम्बर	3	18.00	54.00
9.	प्लास्टिक के हिन्दी अल्फाबेट	3	32.00	96.00
10.	प्लास्टिक के अंग्रेजी अल्फाबेट	3	15.00	45.00
11.	चाक/ बत्ती	5	10.00	50.00
12.	रजिस्टर	1	20.00	20.00
13.	रंग बिरंगे बडे गेंद	10	5.00	50.00
14.	वर्णमाला चार्ट हिन्दी	1	20.00	20.00
15.	वर्णमाला चार्ट गणित	1	20.00	20.00
16.	वर्णमाला चार्ट अंग्रेजी	1	20.00	20.00
17.	अन्य आवश्यकतानुसार सामग्री			
	योग			**2000.00**

किट के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु पर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है:-

- प्री प्राइमरी किट के क्रय हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार समाचार पत्रों में टेण्डर आमंत्रित किया जायेगा तथा टेण्डर के आधार पर 200 विद्यालयों के लिए किट की आपूर्ति जनपद स्तर पर की जायेगी। इसका सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) द्वारा किया जाये तदुपरान्त विद्यालय को किट उपलब्ध करायी जाये। उल्लेखनीय है कि उक्त सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।

(4) मानदेय

- **शिक्षामित्रों का मानदेय** - इस कार्यक्रम के लिए 10 माह की अवधि निर्धारित की गई है जो जुलाई 2010 से अप्रैल 2011 तक होगी। अतः प्री-प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए प्राथमिक विद्यालयों में जो भी शिक्षामित्र चयनित किये गये हों उन्हें **20 बच्चों पर रू0 250/- प्रति माह तथा 20 से अधिक बच्चों पर 300/- रू0 प्रति माह** की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा जो ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से देय होगा। ग्राम शिक्षा समिति का दायित्व होगा कि वह प्रतिमाह नियमानुसार मानदेय का भुगतान सम्बन्धित शिक्षामित्र को करें।

- **सहायिकाओं का मानदेय** - प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 4+ वय वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जायेगा। अतः प्री-प्राइमरी कक्षाओं के संचालन में सहयोग देने हेतु गांव की किसी महिला को सहायिका के रूप में चयन किया जाये। सहायिका का दायित्व होगा कि वह प्री-प्राइमरी कक्षा के बच्चों को विद्यालय लाये - ले जाये एवं विद्यालय में उनकी देखरेख करें। सहायिका हेतु पात्र महिला का चयन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु सहायिका को प्रति माह रू0 200/- की दर से 10 माह के लिए मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा दिया जायेगा।

(5) प्रशिक्षण -

प्रत्येक जनपद में यथा सम्भव उन्हीं 200 प्राथमिक विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जाये, जिनमें गत वर्ष संचालन संतोषजनक रहा हो। इन प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षामित्रों को वर्ष 2010-11 में डायट स्तर पर केवल दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस हेतु राज्य स्तर पर जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) एवं पूर्व प्रशिक्षित 2 सन्दर्भदाताओं (कुल तीन) को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें केन्द्रों के संचालन, शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधियों एवं वार्षिक शैड्यूल आदि की जानकारी दी जायेगी। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण की तिथि पृथक से सूचित की जायेगी। जनपद स्तर पर शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश है:-

- प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रतिभागी 500/- की दर से 200 प्रतिभागियों हेतु एक लाख रूपये की धनराशि डायट को अवमुक्त की जायेगी जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	मद	बजट
1	शिक्षामित्रों के दो दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था (रु. 200/- की दर से 200 प्रतिभागियों हेतु)	40,000.00
2	प्रशिक्षण किट (रु0 200/- की दर से 200 प्रतिभागियों हेत)	40,000.00
3	प्रशिक्षण माड्यूल का मुद्रण	20,000.00
	योग	**100000.00**

- 200 शिक्षामित्रों के दो दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्रति शिक्षामित्र रु. 100/- प्रतिदिन की दर से धनराशि अनुमन्य है। इस बजट से प्रतिभागियों के भोजन, आवास, एवं संदर्भदाताओं को प्रति संदर्भदाता रू0 100/- प्रतिदिन की दर से मानदेय, प्रतिभागियों का मार्गव्यय तथा स्टेशनरी शामिल है। इस धनराशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। सभी शिक्षामित्रों को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्राचार्य डायट का यह दायित्व होगा कि सम्बन्धित शिक्षामित्रों को पूर्व से ही सूचना दे दी जाये ताकि उनकी समय से उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।
- प्री-प्राइमरी कक्षाओं के संचालन हेतु शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर चार फेरों में दिया जायेगा। जनपदों में शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण 19 जुलाई से 27 जुलाई, 2010 की अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।
- जनपद स्तर पर डायट द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं ब्लाक समन्वयकों द्वारा इस कार्यक्रम को समुचित अनुसमर्थन प्रदान करने एवं संवेदीकरण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर उन्हें इस कार्यक्रम से अवगत कराया जाये। इस हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था

आर0ई0एम0एस0 मद से की जाये। प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रतिभागी रू. 100/- की धनराशि अनुमन्य की जा रही है।

- प्रशिक्षण के समय शिक्षामित्रों को एक प्रशिक्षण किट उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु प्रति शिक्षामित्र रु. 200/- की धनराशि अनुमन्य की जा रही है। प्रशिक्षण किट में निम्नलिखित् सामग्री होगी:-

  - बैग - 01
  - रंगीन चार्ट पेपर - 10
  - स्केच पेन - 01 सेट
  - बकरम - 1/2 मीटर
  - स्केल - 01
  - पेन्सिल - 06
  - रबर - 06
  - कटर - 06
  - गोंद की शीशी - 01
  - विभिन्न विषयों के चार्ट यथा फूल, फल, अक्षर, अंक, आवागमन के साधन, पशु-पक्षी आदि
  - अन्य कोई सामग्री, यदि आवश्यक हो।

- प्रशिक्षण अवधि में शिक्षामित्रों से उक्त सामग्री से पर्याप्त टी0एल0एम0 का निर्माण कराया जाये तथा प्रशिक्षण के उपरान्त उनका उपयोग कक्षा कक्ष में अनिवार्यतः किया जाये।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। प्रशिक्षण अवधि में प्राचार्य डायट द्वारा निरंतर इस बात का अनुश्रवण किया जाये कि प्रशिक्षणार्थियों द्वारा रूचिपूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है।
- शिक्षामित्रों, प्रधानाध्यापकों एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों के प्रशिक्षण के समय स्कूल रेडीनेस का माड्यूल अवश्य उपलब्ध कराया जाये। डायट को माड्यूल मुद्रण हेतु रु. 20,000/- की धनराशि आवंटित की जा रही है। प्राचार्य, डायट आवंटित धनराशि से वांछित संख्या में नियमानुसार फोर कलर में माड्यूल को मुद्रित करायेंगे तथा माड्यूल की दस प्रतियां राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे। माड्यूल की साफ्ट कापी (सी0डी0) संलग्न कर प्रेषित है।
- प्राचार्य डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिक्षामित्रों के नाम की सूची प्राप्त कर लें तथा प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी सुनियोजित ढंग से करते हुए यह सुनिश्चित करें कि सूची का कोई भी शिक्षामित्र प्रशिक्षण से वंचित न रह जाये।

2/24

- प्राचार्य डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम का नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे।

सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित संख्या में स्कूल रेडीनेस केन्द्र संचालित करने हेतु 30.6.2010 से पूर्व ही विद्यालयों का चयन कर लें ताकि जुलाई 2010 से सभी केन्द्रों का संचालन विधिवत् प्रारम्भ हो सके। यदि विगत वर्ष में संचालित किसी केन्द्र का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है तो विद्यालय का परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु केन्द्र के चयन हेतु मानकों का अनुपालन अवश्य किया जाये।

कृपया सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय नियमों का पालन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उपर्युक्तानुसार कार्यवाही आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
अपर राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: स्कूल रेडीनेस/ 1267 **/2010-11 लखनऊ, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा), समस्त जनपद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3.6.10

(डी0बी0 शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

पत्रांक स्कूल रेडीनेस/1267/2010-11 दिनांक 4.6.10 का संलग्नक पेज सं. 1

स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में आंबटन हेतु धनराशि का मदवार विवरण

वर्ष 2010-11

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	डायट के प्रशिक्षण हेतु रू0 500/- प्रति (शिक्षामित्र प्रशिक्षण हेतु)	प्री प्राइमरी किट का हेतु रू0 2000/- प्रति	शिक्षामित्र एवं सहायिकाओं का मानदेय रू0 (3000+2000) प्रति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	200	1.00	4.00	10.00	15.00
2	अलीगढ	200	1.00	4.00	10.00	15.00
3	इलाहाबाद	200	1.00	4.00	10.00	15.00
4	अम्बेडकर नगर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
5	औरैया	200	1.00	4.00	10.00	15.00
6	आजमगढ़	200	1.00	4.00	10.00	15.00
7	बदायूँ	200	1.00	4.00	10.00	15.00
8	बागपत	200	1.00	4.00	10.00	15.00
9	बहराइच	200	1.00	4.00	10.00	15.00
10	बलिया	200	1.00	4.00	10.00	15.00
11	बलरामपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
12	बाँदा	200	1.00	4.00	10.00	15.00
13	बाराबंकी	200	1.00	4.00	10.00	15.00
14	बरेली	200	1.00	4.00	10.00	15.00
15	बस्ती	200	1.00	4.00	10.00	15.00
16	भदोही	200	1.00	4.00	10.00	15.00
17	बिजनौर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
18	बुलंदशहर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
19	चन्दौली	200	1.00	4.00	10.00	15.00
20	चित्रकूट	200	1.00	4.00	10.00	15.00
21	देवरिया	200	1.00	4.00	10.00	15.00
22	एटा	200	1.00	4.00	10.00	15.00
23	इटावा	200	1.00	4.00	10.00	15.00
24	फैजाबाद	200	1.00	4.00	10.00	15.00
25	फर्रूखाबाद	200	1.00	4.00	10.00	15.00
26	फतेहपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
27	फिरोजाबाद	200	1.00	4.00	10.00	15.00
28	गौतमबुद्ध नगर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
29	गाजियाबाद	200	1.00	4.00	10.00	15.00
30	गाजीपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
31	गोण्डा	200	1.00	4.00	10.00	15.00
32	गोरखपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
33	हमीरपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
34	हरदोई	200	1.00	4.00	10.00	15.00
35	हाथरस	200	1.00	4.00	10.00	15.00
36	जालौन	200	1.00	4.00	10.00	15.00
37	जौनपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
38	झांसी	200	1.00	4.00	10.00	15.00

पत्रांक स्कूल रेडीनेस/ 1267 2010-11 दिनांक 5.6.10 का संलग्नक पेज नं०-2

क्र०सं०	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	डायट के प्रशिक्षण हेतु रू0 500/- प्रति (शिक्षामित्र प्रशिक्षण हेतु)	प्री प्राइमरी किट का हेतु रू0 2000/- प्रति	शिक्षामित्र एवं सहायिकाओं का मानदेय रू0 (3000+2000) प्रति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
39	जे0पी0नगर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
40	कन्नौज	200	1.00	4.00	10.00	15.00
41	कानपुर देहात	200	1.00	4.00	10.00	15.00
42	कानपुर नगर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
43	काशी राम नगर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
44	कौशाम्बी	200	1.00	4.00	10.00	15.00
45	कुशीनगर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
46	लखीमपुरखीरी	200	1.00	4.00	10.00	15.00
47	ललितपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
48	लखनऊ	200	1.00	4.00	10.00	15.00
49	महाराजगंज	200	1.00	4.00	10.00	15.00
50	महोबा	200	1.00	4.00	10.00	15.00
51	मैनपुरी	200	1.00	4.00	10.00	15.00
52	मथुरा	200	1.00	4.00	10.00	15.00
53	मऊ	200	1.00	4.00	10.00	15.00
54	मेरठ	200	1.00	4.00	10.00	15.00
55	मिर्जापुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
56	मुरादाबाद	200	1.00	4.00	10.00	15.00
57	मुजफ्फरनगर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
58	पीलीभीत	200	1.00	4.00	10.00	15.00
59	प्रतापगढ़	200	1.00	4.00	10.00	15.00
60	रायबरेली	200	1.00	4.00	10.00	15.00
61	रामपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
62	सहारनपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
63	सन्त कबीर नगर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
64	शाहजहाँपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
65	सिद्धार्थनगर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
66	सीतापुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
67	सोनभद्र	200	1.00	4.00	10.00	15.00
68	श्रावस्ती	200	1.00	4.00	10.00	15.00
69	सुल्तानपुर	200	1.00	4.00	10.00	15.00
70	उन्नाव	200	1.00	4.00	10.00	15.00
71	वाराणसी	200	1.00	4.00	10.00	15.00
	योग	**14200**	**71.00**	**284.00**	**710.00**	**1065.00**

(रूपये दस करोड़ पैसठ लाख मात्र)

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में

1 **प्राचार्य**
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जनपद,
उत्तर प्रदेश।

2 **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,**
समस्त जनपद,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: स्कू0रेडी0/1982**/2010-11** **दिनांक** 14 **जुलाई, 2010**

विषय: स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम वर्ष 2010-11 के संचालन हेतु प्रशिक्षण पत्रकों का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 200-200 प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर इस हेतु दिनांक 21 से 26 जून के मध्य प्रत्येक जनपद के तीन-तीन सन्दर्भदाताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया है। प्रशिक्षण अवधि में प्रतिभागियों द्वारा शिक्षामित्र, प्रधानाध्यापक, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के लिए पृथक-पृथक पत्रक तैयार किये गये हैं।

उक्त तीनों पत्रकों को आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया प्रशिक्षण के दौरान मुख्य माड्यूल के साथ-साथ उक्त पत्रकों को भी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि प्रशिक्षण अवधि में इसका उपयोग किया जा सके।

संलग्नक: उक्तवत्

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
अपर राज्य परियोजना निदेशक

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upedulko@eth.net

स्वच्छ स्कूल

सुन्दर स्कूल

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम

वर्ष 2010-11

बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण

मुख्य बिन्दु

- ❖ स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का उद्देश्य
- ❖ बच्चों के स्तर के मूल्यांकन करने का तरीका
- ❖ कार्यक्रम में आपकी भूमिका

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–1 में सीधे नामांकन कराने से पाठ्यक्रम का बोझ बच्चे पर सीधे पड़ता है। अतः वह स्वयं को स्कूल के लिए असहज महसूस करता है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में 4+ वय वर्ग के बच्चों को नामांकित कराकर उन्हें खेल–खेल में स्कूल के परिवेश से परिचित कराकर रूचि उत्पन्न करना एवं आगामी कक्षा–1 के लिए तैयार करना।

लक्ष्य समूह

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 4+ वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराना।

कार्यक्रम की अवधि – माह जुलाई 2010 से मार्च 2011 तक।

कार्यक्रम की रूपरेखा

- ❖ स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम प्रत्येक जनपद के 200 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित होगा।
- ❖ प्रत्येक कक्षा में 20 से 25 बच्चों का नामांकन किया जायेगा।
- ❖ पूर्व प्रशिक्षित शिक्षामित्र द्वारा कक्षा का संचालन किया जायेगा।
- ❖ इस हेतु उन्हें पृथक से मानेदय दिया जायेगा।
- ❖ कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर सहायिका को भी रखे जाने की व्यवस्था है।
- ❖ प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण किट उपलब्ध करायी जायेगी, जिनकी सहायता से बच्चों को सिखाने में मदद मिलेगी।
- ❖ बच्चों को पढ़ने लिखने एवं खेलने हेतु एक किट उपलब्ध करायी जायेगी जिसके माध्यम से बच्चे खेल–खेल में पढ़ने लिखने की समझ बनायेगें।

कार्यक्रम में बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका

- ❖ कार्यक्रम का सफल संचालन मूलतः आपके नेतृत्व में ही होगा। अतः प्रत्येक माह में यदि आपके विकासखण्ड में 15 से कम विद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित है तो सभी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के विद्यालयों का अनुश्रवण जरूर करें। अधिक संख्या होने पर उन स्कूलों में 2 माहों में एक बार अवश्य जायें।
- ❖ कार्यक्रम के दौरान शिक्षामित्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, उन्हें अन्य गैर–शैक्षिक कार्यो में न लगायें।
- ❖ कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि रेडीनेस कार्यक्रम से सम्बन्धित शिक्षामित्रों की माह में एक बार बी0आर0सी0 केन्द्र पर अनिवार्यतः मीटिंग करें जिसमें कार्यक्रम की समीक्षा एवं समस्याओं का समाधान करें।
- ❖ आपको रेडीनेस कार्यक्रम से सम्बन्धित एक दिन का प्रशिक्षण डायट पर दिया जायेगा। अतः आपका दायित्व है कि अपने ब्लॉक के न्याय पंचायत समन्वयकों को दिये गये प्रशिक्षण की पूर्ण जानकारी दें।
- ❖ प्रत्येक न्याय पंचायत समन्वयकों को प्रति सप्ताह सभी स्कूल रेडीनेस विद्यालयों का अनुश्रवण करने हेतु प्रेरित करें तथा उसकी प्रगति प्राप्त करें।
- ❖ आवश्यकतानुसार न्याय पंचायत समन्वयकों एवं शिक्षामित्रों को शैक्षिक अनुसमर्थन दें।
- ❖ स्कूल रेडीनेस किट का विद्यालय में सुचारू प्रयोग सुनिश्चित करायें।
- ❖ कक्षा–कक्ष में टी0एल0एम0 का प्रयोग अवश्य करायें।
- ❖ प्रत्येक माह में होने वाली प्रधानाध्यापकों की बैठक में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की चर्चा अवश्य करें।
- ❖ शिक्षामित्रों एवं सहायिका का मानदेय समय पर भुगतान कराना सुनिश्चित करें।
- ❖ प्री प्राइमरी के बच्चे यदि उम्र एवं कक्षा–1 के स्तर के अनुकूल हो गये हों तो उनका नामांकन करायें तथा ब्लाक की संकलित सूचना जिला समन्वयक बालिका शिक्षा को उपलब्ध करायें।
- ❖ बी0आर0सी0 समन्वयक अपने विकासखण्ड के सह बी0आर0सी0 समन्वयक एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा किये गये अनुश्रवण का लेखा जोखा रखें तथा उन बिन्दुओं पर शिक्षामित्रों की प्रतिमाह मीटिंग में चर्चा करें जिसे अनुश्रवणकर्ताओं द्वारा अपने निरीक्षण में विशेष रूप से उठाया गया हो।
- ❖ कार्यक्रम की प्रगति से सम्बन्धित अधिकारियों को समय–समय पर जानकारी दें।

स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम

वर्ष 2010-11

प्रधानाध्यापकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण

मुख्य बिन्दु

- स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का उद्देश्य
- बच्चों के स्तर के मूल्यांकन करने का तरीका
- कार्यक्रम में आपकी भूमिका

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–1 में सीधे नामांकन कराने से पाठ्यक्रम का बोझ बच्चे पर सीधे पड़ता है। अतः वह स्वयं को स्कूल के लिए असहज महसूस करता है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में 4+ वय वर्ग के बच्चों को नामांकित कराकर उन्हें खेल–खेल में स्कूल के परिवेश से परिचित कराकर रूचि उत्पन्न करना एवं आगामी कक्षा–1 के लिए तैयार करना।

लक्ष्य समूह

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 4+ वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराना।

कार्यक्रम की अवधि – माह जुलाई 2010 से मार्च 2011 तक।

कार्यक्रम की रूपरेखा

- स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम प्रत्येक जनपद के 200 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित होगा।
- प्रत्येक कक्षा में 20 से 25 बच्चों का नामांकन किया जायेगा।
- पूर्व प्रशिक्षित शिक्षामित्र द्वारा कक्षा का संचालन किया जायेगा।
- इस हेतु उन्हें पृथक से मानेदय दिया जायेगा।
- कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर सहायिका को भी रखे जाने की व्यवस्था है।
- प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण किट उपलब्ध करायी जायेगी, जिनकी सहायता से बच्चों को सिखाने में मदद मिलेगी।
- बच्चों को पढ़ने लिखने एवं खेलने हेतु एक किट उपलब्ध करायी जायेगी जिसके माध्यम से बच्चे खेल–खेल में पढ़ने लिखने की समझ बनायेगें।

स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापकों की भूमिका

- ❖ कार्यक्रम का सफल संचालन आपके ही नेतृत्व में ही होगा।
- ❖ आपको स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी हो।
- ❖ विद्यालय के एक कक्ष को छोटे बच्चों के लिए सुसज्जित करायें तथा उसमें प्री प्राइमरी कक्षा का संचालन करायें।
- ❖ प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्र को ही जिम्मेदारी सौंपी जाय।
- ❖ स्टाफ के अन्य अध्यापकों/शिक्षामित्र का भी सहयोग लिया जाय।
- ❖ किट का सही उपयोग किया जाय।
- ❖ समय–समय पर ग्राम शिक्षा समिति की बैठक की जाय एवं उससे अपेक्षित सहयोग लिया जाय।
- ❖ सहायिका का सही चुनाव किया जाय।
- ❖ बच्चों को घर से सुरक्षित लाना तथा भेजना सुनिश्चित करें।
- ❖ बच्चों को साफ –सुथरा विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करें।
- ❖ शिक्षामित्र के अवकाश अथवा अनुपस्थित रहने पर कक्षा संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करायें।
- ❖ बच्चों की उपस्थिति का प्रतिदिन निरीक्षण करें।
- ❖ प्रधानाध्यापक ब्लाक स्तर की बैठक में शिक्षामित्रों का प्रतिभाग करायें।
- ❖ विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों की बैठक आयोजित करके स्कूल रेडीनेस के बच्चों से कविता, कहानी आदि का वाचन करायें।
- ❖ शिक्षामित्र एवं सहायिका का मानदेय भुगतान समय पर करायें।
- ❖ बच्चों का नियमित मूल्याकंन कराते रहें।
- ❖ सत्रान्त पर कक्षा–1 के योग्य बच्चों का दाखिला अवश्य कराये।
- ❖ राष्ट्रीय पर्वो पर प्री प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल करें।

स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम

वर्ष 2010–11

शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण

मुख्य बिन्दु

- ❖ स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का उद्देश्य
- ❖ लक्ष्य
- ❖ पाठ्यक्रम
- ❖ कार्यक्रम में आपकी भूमिका

स्कूल रेडीनेस कार्यकम का उद्देश्य

⇒ 4+ वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय के वातावरण से परिचित कराना।

⇒ कहानी, खेल एवं गीत के माध्यम से उन्हें विद्यालयीय शिक्षा के लिए तैयार करना।

लक्ष्य

भाषा	हिन्दी	वर्ष के अन्त तक कम से कम 5 कहानियां तथा 5 कविताएं सुना सके तथा वर्णमाला के सरल अक्षरों को पहचानने एवं लिखने के लिए तैयार हो सके।
	अंग्रेजी	पाँच–पाँच फल, फूल, सब्जियों, जानवरों एवं शरीर के अंगों का नाम बता सके। दस निर्देशों को समझ सके। परिवार के सदस्यों को अंग्रेजी में सम्बोधित कर सके। सरल अक्षरों को पहचानने एवं लिखने के लिए तैयार हो सके
गणित		एक से बीस तक के अंकों को बोलना, एक से दस तक की गिनती को पहचानना, एक से पाँच तक की गिनती को लिखना, रंग एवं आकृति की पहचान।

पाठ्यक्रम

09 माह के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को तीन सत्र में विभक्त किया गया है।

तीसरे माह के अन्त तक का पाठ्यक्रम

- ❖ सुनकर समझना।
- ❖ छोटी व सरल कहानियाँ सुनाना।
- ❖ गीतों/कहानियों को हाव–भाव से सुनाना।
- ❖ रंगों को पहचानना।
- ❖ दायें, बायें, आगे, पीछे का ज्ञान।
- ❖ आकारों को पहचानना।
- ❖ एक से पाँच तक के अंक पहचानना।
- ❖ तीन फल, फूल एवं सब्जियों के नाम बोलना।

⇒ छठे माह के अन्त तक का पाठ्यक्रम

- ❖ पढ़नें की गतिविधियां।
- ❖ लिखने की गतिविधियां।
- ❖ वर्णो की लिपि की पहचान व मिलान।

- छोटे–बड़े, मोटे–पतले आदि भिन्नता की पहचान।
- एक से बीस तक गिनती बोलना।
- एक व दो अंक लिखने की तैयारी।
- दो पशु, पक्षियों के नाम बताना।
- तीन अंगों के नाम बताना।
- परिवार के चार सदस्यों का सम्बन्ध बताना।

⇒ नवे माह के अन्त तक का पाठ्यक्रम

- पाँच कहानियाँ सुनाना।
- पाँच कविताऐं सुनाना।
- सरल अक्षरों को पहचानना एवं लिखने की तैयारी।
- एक से पाँच तक गिनती लिखना।
- शून्य से दस तक गिनती पहचानना।
- आकारों एवं क्रम का ज्ञान।
- गणितीय गतिविधियों का ज्ञान।
- पाँच फलों, फूलों, सब्जियों, जानवरों, रंगों एवं शरीर के अंगों का नाम बताना।
- अंग्रेजी में दस निर्देशों को समझना एवं पाँच निर्देशों को बोलना।
- परिवार के सदस्यों को अंग्रेजी में सम्बोधित करना।

⇒ कार्यक्रम में शिक्षामित्र की भूमिका

- 4 + वय वर्ग के कम से कम 20–25 बच्चों का चिह्नीकरण एवं नामाकंन।
- सहायिका की सहायता से बच्चों को विद्यालय लाना।
- कार्यक्रम संचालन के प्रारम्भिक दिनों में बच्चों के साथ आत्मीयता एवं मित्रवत् व्यवहार।
- बच्चों द्वारा कही गयी छोटी से छोटी बात को ध्यान पूर्वक सुनना एवं सम्मान देना।
- उनको पूरे समय तक अपनी निगरानी में स्वतन्त्र रूप से रहने का मौका देना।
- बच्चों के कक्षा–कक्ष को TLM के माध्यम से आकर्षक बनाना।
- बच्चों के साथ कार्य करते समय वय वर्ग का विशेष ध्यान देना।
- उनकी साफ–सफाई पर ध्यान देना। बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना।
- परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं की मदद से उन्हें अधिक से अधिक बोलने का अवसर देना।
- पाठ्यक्रम के लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना।
- दिये गये किट एवं सामग्री का प्रयोग बच्चों द्वारा स्वतन्त्र रूप से करने का अवसर प्रदान करना।
- अभिभावक/समुदाय से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना।
- कार्यो की पुनरावृत्ति एवं अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर ज्ञान को समृद्ध करना।
- भाषा के विकास के लिए परिवेश का अधिक से अधिक प्रयोग करना।
- बच्चों को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का मौका देना।
- बच्चों को खेल–खेल में सिखाने के लिए शिक्षक मार्गदर्शिका/(रेडीनेस कार्यक्रम) किट में दी गई कई गतिविधियों का प्रतिदिन अभ्यास कराना।